न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 123/2019 **दायर दिनांकः 22/08/2019**

उनवान

1. निर्मला बाई उर्फ फूला बाई आयु 43 वर्ष पुत्री स्व0 बलराम पत्नि महेन्द्रपाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या हाल सावन भादों तहसील कनवास जिला कोटा (राज0)

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादियाः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 04/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम झाड़ौता पटवार हल्का कटावर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 157 का ख0न0 786 का रकबा 1.16 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.16 है0 व खाता संख्या 112 का ख0न0 857 का रकबा 4.82 है0 कुल किता 1 का रकबा 4.82 है0 आराजी वादीया एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में मृतक बलराम का फोती इन्तकाल नं0 503 दिनांक 20/12/2012 तस्दीक करते वक्त आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने वादीया का नाम फूला बाई गलत दर्ज किया हैं। उक्त आराजी वादीया की पैतृक आराजी हैं। आपके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सहवन से निर्मला बाई के स्थान पर फूला बाई नाम दर्ज कर दिया जबकि वादीया के भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत सकतपुर व सावनभादो प्रमाण पत्र आदि में निर्मला बाई नाम दर्ज हैं जो सही हैं। बिना सहायता न्यायालय आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादीया का नाम फूला बाई के स्थान पर निर्मला बाई दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादीया का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नहीं किया गया तो वादीया को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के0सीसी0 ऋण आदि प्राप्त करने से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादीया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से

होना सम्भव नहीं होगी तथा वादीया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पड़ेगा। इसलिए वादीया को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर फूला बाई के स्थान पर निर्मला बाई पुत्री बलराम जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तहसील अटरू दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादीया का नाम गलत दर्ज करने पर एवं अंतिम बार दिनांक 28/07/2019 को पटवार हल्का द्वारा आराजी में फूला बाई नाम दर्ज होने की जानकारी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम झाड़ौता तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीया विनयी है कि डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि :–

(अ) वादीया को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी ग्राम झाड़ौता के खाता संख्या 157 का ख0न0 786 का रकबा 1.16 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.16 है0 व खाता संख्या 112 का ख0न0 857 का रकबा 4.82 है0 कुल किता 1का रकबा 4.82 है0 आराजी पर फूला बाई के स्थान पर निर्मला बाई दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में फूला बाई के स्थान पर निर्मला बाई पुत्री बलराम जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तहसील अटरू दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीया को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि बैंक के रहन है। अतः जवाब लेकर वाद शुद्ध निर्णय किया जाना उचित है।

साक्ष्यवादी के तहत P.W1 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। और साक्ष्यवादी पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बंद किये जाते है।

अभिभाषक वादिया की बहस सुनी अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में अकिंत बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार वादिया के खाते दर्ज

आराजी ग्राम झाडोता की खाता संख्या 157 किता 1 रकबा 1.16 है0 व खाता संख्या 112 किता 1 रकबा 4.82 है0 में सहखातेदार वादिया का नाम फूला बाई के स्थान पर निर्मला बाई दर्ज किया जावें।

पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया प्रमाणिकरण उपसरपंच सावन भादों सरपंच ग्राम पंचायत सकतपुर 29.07.2009 भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र, परिवार कार्ड, आदि में वादिया का नाम निर्मला है।

न्यायहित में रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम झाडोता की खाता संख्या 157 किता 1 रकबा 1.16 है0 व खाता संख्या 112 किता 1 रकबा 4.82 है0 में सहखातेदार फूला बाई, के स्थान पर निर्मला बाई किये जाने के आदेश किये जाते है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 123/2019

उनवान

1. निर्मला बाई उर्फ फूला बाई आयु 43 वर्ष पुत्री स्व0 बलराम पत्नि महेन्द्रपाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या हाल सावन भादों तहसील कनवास जिला कोटा (राज0)

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीगण:– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादी:– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम झाडोता की खाता संख्या 157 किता 1 रकबा 1.16 है0 व खाता संख्या 112 किता 1 रकबा 4.82 है0 में सहखातेदार फूला बाई, के स्थान पर निर्मला बाई किये जाने के आदेश किये जाते है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 04.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.01 15:26:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: